नगर पालिक निगम, भोपाल

जनसंपर्क शाखा

निगम ने अस्सी फिट रोड, एयरपोर्ट रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों से हटाए अनेक अतिक्रमण

भोपाल, 08 जुलाई 2015

नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों फुटपाथों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने बुधवार को जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही में सहयोग करते हुए 80 फिट रोड से प्लेटफार्म नंबर 01 स्टेशन बजरिया तक मार्ग के दोनों ओर सड़क के किनारे दुकानों के सामने नालियों के ऊपर अतिक्रमण कर बनाए गए रैम्प, सीढ़ियाँ, शेड, जाली आदि को हटाने की कार्यवाही की। निगम अमले ने लालघाटी चौराहा, एयरपोर्ट रोड, गाँधी नगर, बैरागढ़, कमला पार्क, रोशनपुरा, लिंक रोड नंबर 01 और डिपो चौराहा क्षेत्र में सड़क, फुटपाथों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करते हुए 03 हाथ ठेले, 01 बोरा से अधिक टैडीबियर, 03 प्लास्टिक के कार्टून, 41 हेलमेट, चोकोर एंगल फ्रेम आदि जप्त किए। कार्यवाही के दौरान निगम अमले ने अतिक्रमणकारियों से दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी।

———————

श्री राजीव सक्सेना को जोन क्र. 05 एवं श्री राजेश घेंघट को जोन क्र. 02 के स्वच्छता प्रभारी का दायित्व

श्री सुभाष बाथम अतिक्रमण निरीक्षक अपने वर्तमान दायित्वों के साथ—साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, स्वच्छता मुख्य मार्ग का दायित्व संभालेंगे

भोपाल, 08 जुलाई 2015

नगर निगम द्वारा स्वच्छता प्रभारी श्री राजीव सक्सेना को जोन क्र. 05 एवं श्री राजेश घेंघट को जोन क्र. 02 के स्वच्छता प्रभारी का दायित्व सौंपा है। अतिक्रमण निरीक्षक श्री सुभाष बाथम को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ—साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (स्वच्छता मुख्य मार्ग) का दायित्व सौंपा है। श्री बाथम एयरपोर्ट से लेकर पॉलीटेक्निक चौराहा, सी.एम. हाउस, राजभवन, वल्लभ भवन एवं पॉलीटेक्निक चौराहा से लिंक रोड नंबर 01 से बिट्टन मार्केट तक का कार्य संपादित करेंगे तथा उक्त कार्य के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन से निगम आयुक्त, अपर आयुक्त स्तर पर सीधे अवगत करायेंगे।

———————

नगर पालिक निगम, भोपाल

जनसंपर्क शाखा

उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने गीतांजली काम्पलेक्स में किया सीमेंट क्रांकीटीकृत सड़क निर्माण हेतु भूमिपूजन

भोपाल, 08 जुलाई 2015

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने वार्ड क्र. 28 के अंतर्गत गीतांजली काम्पलेक्स में सीमेंट क्रांकीटीकृत सड़क निर्माण हेतु विधिवत भूमिपूजन किया। नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत बनाई जा रही इस सड़क के भूमिपूजन अवसर पर स्थानीय पार्षद श्रीमती लक्ष्मी गौरेवर, जोन क्र. 06 की अध्यक्ष श्रीमती सरोज जैन के अलावा पूर्व पार्षद श्री

किशन सूर्यवंशी के अलावा श्री आशुतोष तिवारी, श्री राजेन्द्र जैन सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक और निगम के अधिकारी मौजूद थे।

---

45 लाख रूपए की कर वसूली के लिए निगम ने की होटल राजदूत कुर्क

बडे बकायादारों के विरूद्ध निगम ने शुरू की कार्यवाही

महापौर श्री आलोक शर्मा द्वारा गत दिवस समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों पर निगम अमले ने की कार्यवाही

भोपाल, 08 जुलाई 2015

नगर निगम भोपाल द्वारा बडे बकायादारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर की जा रही है। बकायादारों से निगम को देय करों की बकाया राशि की वसूली हेतु महापौर श्री आलोक शर्मा द्वारा गत दिवस जोन चार की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में निगम के जोन क्रमांक 4 के अमले ने उपायुक्त राजस्व श्री प्रदीप वर्मा के नेतृत्व में हमीदिया रोड स्थित होटल राजदूत पर वर्ष 2014–15 तक का बकाया सम्पत्तिकर 45 लाख 28 हजार 501 रूपए की वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही करते हुए होटल के कमरों को सील किया। बकाया करों की राशि का भुगतान न करने पर कुर्क की गई संपत्ति नीलाम की जाएगी।

नगर निगम द्वारा संपत्ति कर, जलदर आदि के बकायादारों से बकाया कर की राशि वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा बकाया करों का भुगतान न करने वालों की संपत्तियां भी कुर्क की जा रही हैं। बकायादारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के तारतम्य में निगम के जोन क्रमांक 4 के अमले ने बुधवार को वार्ड क्र. 18 के अंतर्गत हमीदिया रोड स्थित शहर के प्रतिष्ठित होटल राजदूत के कमरों को सील कर कुर्की की कार्यवाही की। महापौर श्री आलोक शर्मा द्वारा मंगलवार को जोन क्रमांक 4 में राजस्व वसूली एवं अन्य कामकाज की समीक्षा के दौरान बड़े बकायादारों की सूची तलब की गई और ऐसे बकायादार जिन्होंने वर्षों से निगम को देय करों का भुगतान नहीं किया है, के विरूद्ध संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए थे। महापौर श्री आलोक शर्मा के निर्देश एवं निगम आयुक्त श्री तेजस्वी एस नायक द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेशों के परिपालन में निगम के उपायुक्त राजस्व श्री प्रदीप वर्मा के नेतृत्व में जोन क्रमांक 4 के अमले ने होटल राजदूत

को कुर्क करने की कार्यवाही की। कार्यवाही से पूर्व निगम द्वारा अनेक बार संबंधित बकायादार श्रीमती गुरमीत कौर जयसवाल को म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 172, 173,175 के विधिवत देयक एवं नोटिस आदि विधिवत रूप से जारी किए गए, परंतु बकायादार द्वारा उक्त नोटिसों आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज दिनांक तक संपत्तिकर की 45 लाख 28 हजार 501 रूपए की राशि होटल राजदूत के संचालकों पर बकाया है। कुर्की की कार्यवाही के दौरान सहायक आयुक्त सम्पत्तिकर डॉ. अर्चना शर्मा, जोनल अधिकारी जोन 4 श्री छगनलाल झा व जोन एवं वार्ड का अमला मौजूद था।

——————————